भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2621
बुधवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सौर ऊर्जा क्षमता का विस्तार</u>

2621. श्री मनोज तिवारीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सौर क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के मद्देनजर सरकार किस प्रकार सौर क्षमता का और विस्तार करने अथवा भूमि अधिग्रहण और अवसंरचना जैसी चुनौतियों पर काबू पाने की योजना बना रही है/विचार रखती है;

(ख) क्या प्रधान मंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) का उद्देश्य छतों पर सौर ऊर्जा लगाने के कार्य को बढ़ावा देना है और यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत आवासीय और वाणिज्यिक प्रयोक्ताओं के लिए प्रभाव, कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों और प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूलों के लिए प्रोडक्टिव लिंक्ड (पीएलआई) योजना किस प्रकार सौर क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण और आत्मनिर्भरता का समर्थन करती है और इसकी प्रगति का ब्यौरा क्या है और इससे लाभान्वित होने वाली कंपनियों की संख्या क्या है; और

(घ) किसानों के लिए सौर सिंचाई पंपों पर ध्यान केन्द्रित करने वाले पीएम-कुसुम के अंतर्गत वित्तपोषण और वितरण में प्रगति प्रतिवेदनों अथवा मुद्दों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) देश में सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने समय-समय पर विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। कार्यशील योजनाओं की सूची अनुलग्नक-**I** में दी गई है।

सरकार 'सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं का विकास' के लिए एक योजना का कार्यान्वयन कर रही है। यह योजना देश में सौर परियोजनाओं के बड़े स्तर पर विकास के लिए भूमि अधिग्रहण और अन्य मूलभूत सुविधाओं की चुनौतियों का समाधान करती है।

इसके अलावा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वर्ष 2030 तक देश में 500 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता के समेकन के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है।

(ख) पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाना है। इस योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27

तक 75,021 करोड़ रुपये के परिव्यय से आवासीय क्षेत्र में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सौर (आरटीएस) संस्थापना प्राप्त करना है।

दिनांक 03.12.2024 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय पोर्टल पर कुल 1.46 करोड़ पंजीकरण, 27.19 लाख आवेदन और 6.58 लाख स्थापनाओं की सूचना दी गई है।

योजना को लागू करने में कोई बड़ी कार्यान्वयन चुनौतियों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्रधानमंत्री: सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) के तहत आवासीय उपयोगकर्ताओं के लिए प्रोत्साहनों का ब्यौरा अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

(ग) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए पीएलआई योजना दो चरणों में कार्यान्वित की जा रही है। भाग-I में 4,500 करोड़ रुपये का परिव्यय है, जिसके अंतर्गत 8,737 मेगावाट की पूर्ण एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए तीन सफल बोलीदाताओं को नवंबर/दिसंबर, 2021 में आवंटन पत्र जारी किए गए हैं। भाग-II के लिए 19,500 करोड़ रुपये के परिव्यय से 39,600 मेगावाट की पूर्ण/आंशिक रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए ग्यारह सफल बोलीदाताओं को अप्रैल, 2023 में आवंटन पत्र जारी किए गए हैं।

उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत, पीएलआई की राशि पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से योजना के तहत चयनित सौर पीवी विनिर्माताओं द्वारा निर्मित सौर पीवी मॉड्यूलों में स्थानीय सामग्री से जुड़ी हुई है। सौर पीवी मॉड्यूलों में स्थानीय सामग्री के अनुपात के साथ पीएलआई राशि को जोड़ने से देश में समग्र सौर पीवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए रास्ते खुलते हैं, जिससे भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के उत्पादन के लिए समग्र पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान मिलता है।

(घ) पीएम-कुसुम एक मांग आधारित योजना है। इस योजना के तहत धनराशि जारी करना और पंपों का आवंटन राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा स्थापना की प्रगति और प्रस्तुत मांग के संबंध में उपलब्ध कराई गई सूचना और योजना दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के आधार पर किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित सौर पंपों और अब तक की गई स्थापनाओं का ब्यौरा अनुलग्नक-**III** में दिया गया है।

अनुलग्नक-**I**

'सौर ऊर्जा क्षमता का विस्तार**'** के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2621 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**I**

देश में सौर ऊर्जा को बढावा देने के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं की सूची

1. 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य से सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। इस योजना के तहत भूमि, सड़क, विद्युत निकासी प्रणाली, जल की सुविधाएं जैसी मूलभूत सुविधाएं सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित की जाती हैं। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-स्तर की सौर परियोजनाओं के शीघ्र विकास में सहायता करती है।

2. देश भर में एक करोड़ घरों पर रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना।

3. उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों (ट्रांश-I और II) में गीगावाट स्तर की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम" नामक उत्पादन से जुडी प्रोत्साहन योजना।

4. लघु ग्रिड कनेक्टेड सौर विद्युत संयंत्रों, स्टैंडअलोन सौर विद्युत चालित कृषि पंपों और मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों के सौरीकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम योजना।

5. सरकारी उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए सीधे अथवा वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के माध्यम से व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ 12000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।

6. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए।

<u>अनुलग्नक-**II**</u>

'सौर ऊर्जा क्षमता का विस्तार' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2621 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

<u>प्रधानमंत्रीः सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) के तहत आवासीय उपयोगकर्ताओं के लिए प्रोत्साहनों का ब्यौरा</u>

क्र.सं.	आवासीय खंड का प्रकार	सीएफए	सीएफए (विशेष श्रेणी राज्य)
1	आवासीय क्षेत्र (रूफटॉप सौर (आरटीएस) क्षमता का प्रथम 2 किलोवाट पीक या उसका भाग)	30,000 रु. प्रति किलोवाट पीक	33,000 रु. प्रति किलोवाट पीक
2	आवासीय क्षेत्र (1 किलोवाट पीक की अतिरिक्त आरटीएस क्षमता के साथ या उसके भाग सहित)	18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक	19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक
3	आवासीय क्षेत्र (3 किलोवाट पीक से अधिक अतिरिक्त आरटीएस क्षमता)	कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं	कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं
4	समूह आवासीय सोसायटी/आवासीय कल्याण समिति (जीएचएस/ आरडब्ल्यूए) आदि के लिए 500 किलोवाट पीक तक इलेक्ट्रिक व्हिकल चार्जिंग सहित साझा सुविधाओं के लिए (3 किलोवाट पीक प्रति घर की दर से)।	18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक	19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक

अनुलग्नक-**III**

'सौर ऊर्जा क्षमता का विस्तार' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2621 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**III**

पीएम-कुसुम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित सौर पंपों और स्थापनाओं की संख्या
(दिनांक 30.11.2024 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	घटक-क (मेगावाट)		घटक-ख (संख्या)		घटक-ग (संख्या)		
		स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत		स्थापित (कुल)
						आईपीएस	एफएलएस	
1	अरुणाचल प्रदेश	0	0	700	394	0	0	0
2	असम	10	0	4000	0	1000	0	0
3	छत्तीसगढ़	30	4	10000	0	0	0	0
4	बिहार	0	0	0	0	0	136812	0
5	गुजरात	500	0	12382	7705	0	725000	30158
6	गोवा	150	0	900	80	0	11000	700
7	हरियाणा	85	6.65	197655	137594	0	45519	0
8	हिमाचल प्रदेश	100	25.95	1270	685	0	0	0
9	जम्मू और कश्मीर	20	0	5000	1937	4000	0	0
10	झारखंड	20	0	42985	23999	1000	0	0
11	कर्नाटक	0	0	41360	1674	0	766588	1713
12	केरल	40	0	8	8	45100	25387	7402
13	लद्दाख	0	0	1400	0	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	1490	39.63	59400	7325	0	445000	7417
15	महाराष्ट्र	700	6	505000	222933	0	775000	31428
16	मणिपुर	0	0	150	78	0	0	0
17	मेघालय	0	0	3035	96	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	1700	40	0	0	0
19	नागालैंड	5	0	265	65	0	0	0
20	ओडिशा	500	0	16441	5478	25000	10000	0
21	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0
22	पंजाब	220	0	53000	12952	186	75000	0
23	राजस्थान	1550	244	212914	89245	6418	350000	5476
24	तमिलनाडु	424	1	5200	3909	5000	6000	0
25	तेलंगाना	4000	0	0	0	28000	0	0
26	त्रिपुरा	5	0	10895	3537	2600	0	50
27	उत्तर प्रदेश	151	0	110948	54117	12000	94000	2000
28	उत्तराखंड	0	0	5685	473	200	0	0
29	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	700	0	20
30	अंडमान और निकोबार	0	0	34	0	436	0	0
	कुल	10000	327.23	1302327	574324	131640	3465306	86364

*****